न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—246 / 2025

प्रार्थीः—

मेवाराम पुत्र सखाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सोहनपुरा (पंऊ) तहसील सिवाना जिला बालोतरा राज.।

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. बाबुलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी सोहनपुरा (पंऊ) हाल निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. राणाराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी सोहनपुरा (पंऊ) हाल निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. झमुदेवी पत्नि रूपाराम जाति मेघवाल निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. न्रपतलाल पुत्र धर्माराम जाति मेघवाल निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. पुखराज पुत्र धर्माराम जाति मेघवाल निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. बाबुलाल पुत्र धर्माराम जाति मेघवाल निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. शान्तीदेवी पत्नि भीमाराम जाति मेघवाल निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :—22.01.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि के खसरा संख्या 55 व 56 रकबा क्रमशः 0.7969 व 6.9722 हैक्टेयर भूमि ग्राम सोहनपुरा(पंऊ) तहसील सिवाना तथा खस[illegible] 1669 व 1670 रकबा क्रमशः 8.3010 व 0.1752 हैक्टेयर [illegible] बालाजी[illegible] तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम क्रमशः "मेवा[illegible] पुत्र सुखाराम" व "[illegible] पुत्र सकाराम" दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा जनआधार, पेन कार्ड व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम "मेवाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

पुत्र सखाराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में जनआधार, पेन कार्ड व आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''मेवाराम पुत्र सखाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि के खसरा संख्या 55 व 56 रकबा क्रमशः 0.7969 व 6.9722 हैक्टेयर भूमि ग्राम सोहनपुरा(पंऊ) तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 1669 व 1670 रकबा क्रमशः 8.3010 व 0.1752 हैक्टेयर भूमि ग्राम बालाजीनगर तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम नाम क्रमशः ''मेवाराम पुत्र सुखाराम'' व ''मेवाराम पुत्र सकाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के जनआधार, पेन कार्ड व आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''मेवाराम पुत्र सखाराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''मेवाराम पुत्र सुखाराम'' व ''मेवाराम पुत्र सकाराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:55 IST
Reason: SelfAttested

नाम ''मेवाराम पुत्र सखाराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर के खसरा संख्या 55 व 56 रकबा क्रमशः 0.7969 व 6.9722 हैक्टेयर भूमि ग्राम सोहनपुरा(पंऊ) तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''मेवाराम पुत्र सुखाराम'' तथा खसरा संख्या 1669 व 1670 रकबा क्रमशः 8.3010 व 0.1752 हैक्टेयर भूमि ग्राम बालाजीनगर तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''मेवाराम पुत्र सकाराम'' के स्थान पर ''मेवाराम पुत्र सखाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना(बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:55 IST
Reason: SelfAttested